हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत स्थापित)
धर्मशाला, जिला कांगड़ा-176215, हिमाचल प्रदेश

आज़ादी का अमृत महोत्सव

फ़ा.सं. एसओएल/2-6/हि.प्र.के.वि./22/ 182 – 189 दिनांक: 6 जून, 2023

सूचना

भाषा स्कूल के अंतर्गत हिंदी विभाग, संस्कृत विभाग, अंग्रेजी विभाग, तथा पंजाबी एवं डोगरी विभाग में अध्ययनरत द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्टम सत्र के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक https://www.cuhimachal.ac.in/admin/assets/uploads/docs/20221219105953daee497ca4.pdf के अंतर्गत उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर **फ्री-शिप/शुल्क मुक्ति (शैक्षणिक वर्ष 2022-23)** हेतु आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रपत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित विभाग में किसी भी कार्यदिवस में जमा करवा सकते हैं। आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि **20 जून 2023** है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

न्यूनतम पात्रता:

क. आवेदनकर्ता स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम में विश्वविद्यालय का नियमित विद्यार्थी होना चाहिए।

ख. सभी स्रोतों से उसकी / उस के परिवार की वार्षिक आय रुपए 5.00 लाख सेअधिक नहीं होनी चाहिए।

ग. आवेदनकर्ता किसीअन्य स्रोत से छात्रवृत्ति(याँ) / वित्तीय सहायता(यें) आदि प्राप्त न करता हो।

घ. प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में नामांकित विद्यार्थी के पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए।

ङ. तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर में नामांकित विद्यार्थी द्वारा पिछले सेमेस्टरों की संयुक्त मेरिट में न्यूनतम 55% अंक (बी+ ग्रेड) का स्कोर होना चाहिए साथ ही वह उस के द्वारा पिछले सेमेस्टरों में लिए गए सभी पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करती/करता हो, उसका आचरण संतोषजनक होना चाहिए और वह विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल का उल्लंघन करने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि में शामिल नहीं होनी/होना चाहिए। इसकेअतिरिक्त वह पिछले सेमेस्टरों के दौरान लिए गए सभी पाठ्यक्रमों में न्यूनतम 75% अनिवार्य उपस्थिति की शर्त को पूरा करती/करता हो।

6/6/23
अधिष्ठाता, भाषा संकाय

प्रतिलिपि:

1) सूचना पट्ट एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट।
2) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी/हिंदी/संस्कृत/पंजाबी एवं डोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4) अधिष्ठाता, अकादमिक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5) वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
6) कुलसचिव महोदय, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7) सहायक कुलसचिव- कुलपति सचिवालय को माननीय कुलपति महोदय की सूचनार्थ प्रेषित।
8) कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय की सूचनार्थ प्रेषित।

अधिष्ठाता, भाषा संकाय